

व्यक्तिगत दावा कुलक प्रपत्र

:: अनुक्रमणिका ::

क्र.सं.	अनुक्रमणिका	किसके द्वारा तैयार किया जायेगा	पृ.सं.
1	दावा प्रारूप (क)	दावेदार	1
2	वन अधिकार समिति का निर्वाचन	ग्राम सभा सचिव	2
3	दावों का सत्यापन	वन अधिकार समिति	3-4
4	पटवारी की रिपोर्ट	हल्का पटवारी	5
5	नक्शा ट्रेस	हल्का पटवारी	6
6	वन विभाग प्रतिनिधि की रिपोर्ट	वनपाल/वनरक्षक	7
7	वन अधिकार समिति अभिस्वीकृति	सचिव समिति	8
8	ग्राम सभा का संकल्प	सचिव ग्राम सभा	9
9	उप खण्ड स्तर की कार्यवाही	विकास अधिकारी	10
10	जिला स्तरीय की कार्यवाही	परियोजना/उप परियोजना अधिकारी अनुसूचित क्षेत्र से सम्बन्धित अधिकारी,	11
11	वन अधिकार पत्र	जिला परिषद - शेष जिलों हेतु	12

उपाबंध 1

(नियम 6 झ देखें)

प्ररूप-क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप
(नियम 11-1-क देखें)

1. दावेदार (रों) का/के नाम :
2. पति/पत्नि का नाम :
3. पिता/माता का नाम :
4. पता :
5. ग्राम :
6. ग्राम पंचायत :
7. तहसील/तालुका :
8. जिला :
9. (क) अनुसूचित जनजाति : हाँ / नहीं
(प्रमाण पत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
(ख) अन्य परंपरागत वन निवासी
(यदि पति/पत्नि अनुसूचित जनजाति से हैं प्रमाण पत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
10. कुटुंब के अन्य सदस्यों का नाम और आयु
(बालकों व वयस्क आश्रितों सहित)

भूमि पर दावे का स्वरूप

1. अधिभोग की नई भूमि का विस्तार
(क) निवास के लिए
(ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई हो :
2. विवादित भूमि, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3-1-च देखें)
3. पट्टे/अनुदान, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3-1-छ देखें)
4. यथावत् पुनर्वास के लिए भूमि या आनुकल्पिक भूमि यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3-1-ड देखें)
5. भूमि, जहां से भूमि प्रतिकर दिए बिना विस्थापित किए गए हैं।
(अधिनियम की धारा 4-8 देखें)
6. वन ग्रामों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3-1-ज देखें)
7. अन्य कोई पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3-1-झ देखें)
8. समर्थन से साक्ष्य
(नियम 13 देखें)
9. अन्य कोई सूचना

दावेदार(रों) के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

वन अधिकार समिति का निर्वाचन
(नियम 3 (1) देखें)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में नियम 2008 के नियम 3(1) में वर्णित प्रावधानान्तर्गत ग्राम सभा का संयोजन कर वन अधिकार समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया गया और दावे स्वीकार करने के लिए अधिकार समिति को प्राधिकृत किया गया।

प्रस्ताव सं. दिनांक

ग्राम का नाम : ग्राम पंचायत

वन अधिकार समिति के सदस्य एवम् पदाधिकारीगण :

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1 | अध्यक्ष | |
| 2 | सचिव | |
| 3 | सदस्यगण | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर अध्यक्ष ग्राम सभा

नोट : वन अधिकार समिति में कम से कम दस किन्तु पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे जिसमें से कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे और सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएं होंगी।

वन अधिकार समिति द्वारा दावों का सत्यापन की कार्यवाही
(नियम 12 (1) देखें)

दिनांक को वन अधिकार समिति – ग्राम ग्राम
पंचायत तहसील जिला द्वारा
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 के नियम 12 (1) में
प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में वन अधिकार दावेदार :

श्री / श्रीमती

पिता / पति

निवासी ग्राम जिसकी (के) पत्नि / पति का नाम श्रीमती / श्री

..... है द्वारा प्रस्तुत दावे से संबंधित स्थल (वन क्षेत्र) का निरीक्षण किया और मौके पर
स्थिति निम्नानुसार पाई गई :-

1. (क) कृषि कार्य में उपयोग : है.
- (ख) आवासीय उपयोग : है.
2. भूमि पर है. / बीघा में फसल बो रखी है / नहीं बो रखी है।
3. मेड़बंदी कर रखी है / नहीं कर रखी है।
4. कुआँ (कच्चा / पक्का) बना है / नहीं है।
5. अतिक्रमित वन भूमि पर लगभग वर्ष पुराने किस्म के रोपित किये
गये, विकसित / संरक्षित पेड़ है।
6. भूमि पर बाड़ कर रखी है / नहीं कर रखी है।
7. साक्ष्य जो दिये गये उनका विवेचन :

8. अतिक्रमित वन भूमि नजरी नक्शा एवं माप

उत्तर

पश्चिम

पूर्व

दक्षिण

9. निष्कर्ष

दावेदार द्वारा प्रस्तुत एवं मौका निरीक्षण के विवेचन के आधार पर दावेदार द्वारा वन भूमि पर अधिभोग 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व का होना पाया जाता है / नहीं पाया जाता है तथा उक्त वन भूमि पर अधिभोग 31 दिसम्बर 2007 को भी है / नहीं है।

वन अधिकार समिति सदस्यों के हस्ताक्षर :

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15

हस्ताक्षर दावेदार

हल्का पटवारी की रिपोर्ट

(नियम 12 (4) देखें)

ग्राम ग्राम पंचायत

तहसील जिला

में वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक को श्री के दावे

पिता/पति के दावे से संबंधित स्थल (वन क्षेत्र) का निरिक्षण किया गया उसका राजस्व

अभिलेखों के अनुसार विवरण निम्नानुसार है

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार/ कृषि/आवास	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
योग					

हस्ताक्षर पटवारी

ग्राम

तहसील

जिला

नोट : अधिभोग की वन भूमि को नक्शा ट्रेस पर लाल स्याही से दर्शाते हुए संलग्न करें।

नक्शा ट्रेस
(नक्शा ट्रेस इस पेज पर चिपकाएं)
(नियम 12 (4) देखें)

आंशिक नक्शा ट्रेस ग्राम

जिसमें श्री पिता/पति श्री

द्वारा अधिभोग में ली गई वन भूमि को लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हस्ताक्षर पटवारी

ग्राम

तहसील

जिला

वन विभाग प्रतिनिधि की रिपोर्ट
(नियम 12 (4) देखें)

श्री पिता/पति

ग्राम पंचायत

तहसील जिला

द्वारा अधिभोग में ली जा रही वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :

- 1 वनखण्ड का नाम
2. कम्पार्टमेन्ट सं.
3. अधिभोग में ली जा रही वन भूमि का क्षेत्रफल
4. नजरी नक्शा

5. नक्शे में दर्शाये गये बिन्दुओं के निर्देशांक :

बिन्दु	अक्षांश (उत्तर)	देशांतर (पूर्व)
अ.	उ.	पू.
ब.	उ.	पू.
स.	उ.	पू.
द.	उ.	पू.
य.	उ.	पू.

हस्ताक्षर दावेदार

हस्ताक्षर
वनपाल / वनरक्षक

वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति
(नियम 11 (3) देखें)

श्री पिता/पति दिनांक

ग्राम पंचायत

तहसील जिला

द्वारा अधिभोग में ली जा रही वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार/ कृषि/आवास	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
योग					

वन अधिकार दिये जाने हेतु वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति जारी की जाती है / अस्वीकृत की जाती है।

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर अध्यक्ष

ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)

प्रस्ताव सं.

दिनांक :

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण एवं 11(5) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वाहन ग्राम सभा की बैठक की गई एवं उसमें वन अधिकार समिति द्वारा अभिस्वीकृत / अस्वीकृत वन भूमि पर अधिभोग के प्रकरणों पर विचार किया और पाया कि :-

श्री / श्रीमती पिता/पति श्री

(1) निचे दिये गये विवरण की वन भूमि को 12.12.2005 से पूर्व अधिभोग में ले रहा है/नहीं ले रहा है (2) उक्त भूमि पर अधिनियम प्रभावी होने की तिथि 31.12.2007 तक काबिज है/ नहीं है एवं (3) अपनी जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए इस वन भूमि पर निर्भर है/नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा श्री पिता/पति

ग्राम तहसील जिला को उसके अधिभोग में निम्नानुसार भूमि पर वन अधिकार दिये जाने का संकल्प पारित किया जाता है / नहीं किया जाता है।

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार/ कृषि/आवास	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
योग					

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर अध्यक्ष ग्राम सभा

उपखण्ड स्तरीय समिति की कार्यवाही

(नियम 6 एवं 14 देखें)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धार 6 (3) के प्रावधानान्तर्गत गठित एवं प्रदत्त अधिकारों / कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 विनिर्दिष्ट प्रक्रियान्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति की बैठक दिनांक को आयोजित की गई। बैठक में ग्रामसभा द्वारा वन भूमि पर वन अधिकार के अधियोग के संबन्ध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और पाया कि

श्री पिता/पति

ग्राम पंचायत

तहसील जिला

1. अनुसूचित जनजाति/अन्य पराम्परागत वन निवासी का सदस्य है / नहीं है।
2. दावेदार का निम्न वन भूमि पर अधिभोग 13.12.2005 से पूर्व का है / नहीं है।
3. इस वन भूमि पर अधिनियम प्रभावी होने की तिथि 31.12.2007 तक भी काबिज है / काबिज नहीं है एवं
4. दावेदार अपनी जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए निम्नानुसार वर्णित वन भूमि पर निर्भर है / नहीं है।

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार/ कृषि/आवास	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
योग					

अतः समिति सर्वसम्मति से उपरोक्त वन भूमि पर उपरोक्त वर्णित दावेदार को वन अधिकार दिये जाने की अनुशंसा करती है / खारिज करती है।

उपखण्ड अधिकारी

वन विभाग का भार साधक अधिकारी

विकास अधिकारी

मनोनीत सदस्य

मनोनीत सदस्य

मनोनीत सदस्य

जिला स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही
(नियम 8 (ग) देखें)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (5) के प्रावधानान्तर्गत गठित एवं जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता आयोजित की गई एवं नियम 8 (ग) के अन्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति द्वारा तैयार किये गये वन अधिकारों के दावों और अभिलेखों पर विचार किया गया तथा :

श्री पिता/पति

ग्राम पंचायत

तहसील जिला

को निम्नानुसार वन भूमि पर वन अधिकार अधिभोग करने का अनुमोदन किया जाता है / खारिज किया जाता है।

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार कृषि/आवास	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
योग					

जनजाति विकास विभाग
का भार साधक अधिकारी

उप वन संरक्षक / वन
मण्डल अधिकारी

जिला कलेक्टर

मनोनीत सदस्य

मनोनीत सदस्य

मनोनीत सदस्य

उपाबंध 2

(नियम 8 ज देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक(कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित)
2. पिता/माता का नाम
3. आश्रितों का नाम
4. पता
5. ग्राम
6. ग्राम पंचायत
7. तहसील / तालुका
8. जिला
9. अनुसूचित जनजाति / अन्य परंपरागत वन निवासी :
10. क्षेत्रफल
11. खसरा / कंपार्टमेन्ट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण :

यह हक दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) की अधीन अन्य संक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :
 हम, अधोहस्ताक्षरी, (राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से
 उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/

उप वन संरक्षक

जिला कलेक्टर /

उप आयुक्त

जिला जनजातिय कल्याण अधिकारी